न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या–५५ वर्ष–2024

पप्पू बनाम ओमप्रकाश वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म से तारीख के जारी हुए
02.04.2024	मूल वाद के साथ श्री नरेन्द्र कुमार जाट एड0 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकले राजस्व अभिलेख तथा एक पक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष मे होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे होने तथा अपूर्णीय क्षति की संभावना को देखते हुये अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के जवाब पेश होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 342/4 रकबा 1.5176 हैक्टर वाके ग्राम नांगल नरहर पटवार हल्का करेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यदि इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजीर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड एडी से की जाकर एवं रजिस्टर्ड एडी पेश नही करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः हो खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 22.05.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 31/7 ....को पेश हो।	
31/07/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप० अधिवक्ता प्रार्थी ने Not-press अंकित कर प्रार्थना पत्र नोट-प्रेस करने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र नोट-प्रेस कर प्रकरण खारिज फरमाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	Not press N